मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011 (फाल्गुन 27, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-29-08-1-पांच (12), दिनांक 2 जुलाई, 2009, तथा

(ख) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच (100)-(एक), दिनांक 13 दिसम्बर, 2010, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, तथा

(ख) मध्यप्रदेश निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 20 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-32-2008-बी-ग्यारह, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 348-म.प्र.वि.नि.आ.-2011, दिनांक 1 फरवरी, 2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम स्थित लोकेन्द्र पैलेस के बगीचे की जमीन की बिक्री होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले में जल प्रदाय में दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री बृजेन्द्र सिंह, सुखदेव पांसे, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर एवं निवाड़ी क्षेत्र में रसोई गैस की काला बाजारी होने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को वनाधिकार प्रपत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य, अलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र के विकास हेतु राशि का आवंटन न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(6) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र में नक्सलाईट द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश के आदिवासियों के उत्थान एवं कल्याण हेतु आवंटित राशि का दुरुपयोग किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री पारस दादा, सदस्य, प्रदेश के विद्यार्थियों को जबरन स्वाध्यायी घोषित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के डकैती प्रभावित क्षेत्र सेमरिया में एस.ए.एफ. की चौकी स्थापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़, जिले के ग्राम घाटाखेड़ी में विद्युत तार न लगाये जाने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, पन्ना जिले के जनपद पंचायत अजयगढ़ के ग्राम पंचायत हरदी के लोगों को रोजगार गारंटी का लाभ न मिलने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल स्थित मसाजिद कमेटी के कार्यालय में अनियमितता होने की ओर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम चरगौड़ा में बैगा आदिवासी के साथ अमानवीय कृत्य कर मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के पटवारी हल्का भजियादण्ड के कृषकों द्वारा मुआवजा वितरण को लेकर प्रदर्शन किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री आरिफ अकील, डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के परीक्षण में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में घटिया पोषण आहार का वितरण होने की ओर राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. कल्पना परूलेकर, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन के नीलगंगा पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी उद्यान अधीक्षक द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री अजय सिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन ग्वालियर द्वारा गोदामों में उपयोग किये जाने वाली दवाओं की प्रभावी तिथि खत्म होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम बोरदी में एक बालिका के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री पुरुषोत्तम दांगी, डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, बालाघाट जिले में रेत खदानों की नीलामी में अनियमितता होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर दुग्ध संघ के कर्मचारियों को नियुक्ति न दिये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में खोदी गई सड़कों को न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति का 106वां से 133वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति, याचिका समिति का अभ्यावेदन संबंधी नवम् एवं कार्यान्वयन संबंधी दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के -

(क) ग्राम खाकरौन में स्टाप डेम निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम बेलईघाट में शासकीय मिडिल स्कूल खोले जाने,
(ग) ग्राम गोरा से धारखेड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम कनेरा नीखर में हाई स्कूल का भवन निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) ग्राम खैरा मलईया में पानी टंकी का निर्माण किये जाने,

(2) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य, सागर जिले के -

(क) ग्राम ऐरन से उजरई तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम मुड़िया नायक को मुख्य सड़क से जोड़े जाने, तथा
(ग) ग्राम बरोदिया से हरदौर तक सड़क निर्माण किये जाने,

(3) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले के -

(क) ग्राम बोधियाखुर्द से रेवापुर तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) हरदा छीपानेर नसरुल्लागंज मार्ग के बीच नर्मदा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(ग) खिड़किया नगर में रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण किये जाने,
(घ) बाजनिया-गाड़रापुर शिवपुर मार्ग के गंजाल नदी पर पुल निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) हरदा नगर के नेशनल हाईवे मार्ग पर ओव्हर ब्रिज निर्माण किये जाने,

(4) श्री विजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा (विज्जु बना), सदस्य, नीमच जिले के -

(क) भाटखेड़ी खुर्द कुकड़ेश्वर सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम बरडिया जागीर से भादवा माता तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

(5) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला जिले के -

(क) ग्राम टहंगी में आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण किये जाने, तथा

(ख) घुघरी तहसील में कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(6) श्री मदन कुशवाह, सदस्य, भोपाल जिले की तहसील बैरसिया के ग्राम कुटकीपुरा में हैण्डपंप खनन किये जाने,

(7) श्री कमलेश जाटव, सदस्य, मुरैना जिले की पोरसा तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर सिविल अस्पताल किये जाने, एवं

(8) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम हांसईमेदवा में डब्लू.बी.एम. सड़क निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, दिनांक, 24 फरवरी, 2011 पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 687) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घन्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या - 3 मांग संख्या - 4	पुलिस गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास.
1 घन्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या - 12 मांग संख्या - 25	ऊर्जा खनिज साधन.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) का पुरःस्थापन* करेंगे.

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री गिरीश गौतम, श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घन्टा "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश में निवासरत, नमोशुद्रः पोद (पौन्ड क्षत्रीय) पौंड्रा, झालों, मांलों, राजवंशी को मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाये.".

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि झांसी रेल्वे स्टेशन से गुजरने वाली भोपाल दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में सामान हेतु अतिरिक्त रैक लगाया जाये.".

(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रेल किराये में वरिष्ठ महिलाओं की भांति वरिष्ठ पुरूषों को भी 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) छूट समान रूप से दी जाये.".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 17 मार्च, 2011

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.